उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
UPRVUNL

संख्या– 48 / उनिलि / रिफॉर्म / बाण्ड मनी :190–190.39 / 2020 दिनांकः 25 / 02 / 2021

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं0 190.39 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों हेतु बाण्ड मनी / सेवा अनुबन्ध–पत्र के सम्बन्ध में एतद्द्वारा, निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैंः–

I. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा–शर्तों में बन्ध राशि (**Bond Money**) जमा करने के रूप में "सेवा अनुबन्ध–पत्र" निष्पादित किये जाने का प्राविधान सम्मिलित किया जाता है।

II. उपरोक्त "सेवा अनुबन्ध–पत्र" निम्न तालिका में अंकित ग्रेड वेतन के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित कराया जायेगा।

III. 'सेवा अनुबन्ध–पत्र' निष्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में बाण्ड मनी की धनराशि निम्नांकित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है–

क्रम सं0	सीधी भर्ती के पद का ग्रेड वेतन / (सातवें वेतन आयोग का पे–मैट्रिक्स लेवल)	निर्धारित बन्ध राशि (**Bond Money**)
1	ग्रेड पे रू0 2600 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–4)	रू0 75,000 / –
2	ग्रेड पे रू0 3000 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–5)	रू0 75,000 / –
3	ग्रेड पे रू0 4200 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–6)	रू0 1,00,000 / –
4	ग्रेड पे रू0 4600 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–7)	रू0 1,50,000 / –
5	ग्रेड पे रू0 4800 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–8)	रू0 1,50,000 / –
6	ग्रेड पे रू0 5400 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–10)	रू0 2,00,000 / –
7	ग्रेड पे रू0 8900 / – (पे–मैट्रिक्स लेवल–13)	रू0 3,00,000 / –

IV. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक पर उसके संवर्ग से सम्बन्धित सेवा विनियमावली अनुसार प्राविधान लागू होगें।

V. सीधी भर्ती के प्रारम्भिक पद पर चयनोंपरान्त सम्बन्धित सेवा प्रारम्भ / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष का बन्ध काल पूर्ण करना होगा तथा 03 वर्ष से पूर्व निगम की सेवायें छोड़ने की दशा में उन्हें निष्पादित कराये गये 'सेवा अनुबन्ध–पत्र' के अनुसार निर्धारित बन्ध राशि (**Bond Money**) एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) निगम में जमा करनी होगी।

VI. <u>शिथिलताः</u> सेवा प्रारम्भ / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के मध्य यदि अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रकृति की सेवाओं में चयनित होने पर निगम की सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है तो उक्त सेवा का नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित बन्ध राशि (**Bond Money**) जमा करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगीः–

क) भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में।

ख) राज्य सरकार के उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के फलस्वरूप किसी पद पर चयन होने की दशा में।

ग) उ0प्र0 पावर सेक्टर की किसी अन्य कम्पनी में चयन होने की दशा में।

VII. सेवा अनुबन्ध–पत्र निषादित किये जाने का उपरोक्त प्राविधान सम्बन्धित संवर्गो की नियुक्ति विषयक सेवा शर्तों में समावेशित समझा जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 48/उनिलि/रिफॉर्म/बाण्ड मनीः190–190.39/2020 तददिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ, एटा।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वी में प्रस्तुत आइटम संख्या –190.39 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05)/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

25/2/21

(तरूण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)